कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर

(Phone: 05642-294300 Help Line, E-mail- dlsa13dholpur.com)

क्रमांक :– 2388 दिनांक :– 03/05/25

–:विज्ञप्तिः–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक F. 16()रालसा /जेएस/LADC/2025/29074-109 दिनांक 17.03.2025 व F. 16()/RSLSA/J.S./LADCS/2024/8818 दिनांक 29.07.2024 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अधीनस्थ कार्यालय लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, धौलपुर हेतु निम्नानुसार पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 17(10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/ पारिश्रमिक (रूपये)
01	ऑफिस असिस्टेन्ट	03	14000/-
02	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	14000/-
03	ऑफिस पिओन	03	11000/-
	कुल योग	07	–

शर्तें:–

1. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नही हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त कार्मिकों की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस के वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 09.05.2025 को कार्यालय

समय दोपहर 01:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:–

- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
- अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
- पीपीओ की प्रति
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है)

नोटः– पूर्ण विज्ञप्ति, आवेदन पत्र व प्रमाण पत्र जिला न्यायालय की बेबसाईट **https://dholpur.dcourts.gov.in/** से डाउनलोड की जा सकती है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)

क्रमांकः– 2389-2398 **दिनांकः–** 03-05-25

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2 श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
3 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
4 श्रीमान जिला कलक्टर, धौलपुर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
5 धौलपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को जरिये ई–मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7 जिला जनसंपर्क अधिकारी, धौलपुर।
8 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, धौलपुर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
9 नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
10 आदेश संबंधित पत्रावली।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर

॥राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में पुनर्नियुक्ति सेवाए लेने के लिए आवेदन–पत्र॥

1 सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2 पिता/पति का नाम :
3 जन्म तिथि :
4 पूर्ण पता :
5 आयु दिनांक (दिनांक 30.04.2025) :वर्ष.....माह.....दिन.....
6 अर्हताएं :
7 मूल विभाग का नाम :
8 सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :
9 अनुभव :
10 सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
(रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे–लेवल
(एलपीसी संलग्न है)
11. मूल पेंशन राशि :
(पीपीओ प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान :
(सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
(संलग्नानुसार है)
14. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन :.....
किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :
दिनांक :

सेवानिवृत्ति कर्मचारी के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में विन्दु सं. 01 से 14 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व.....पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती..... .मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड़ वेतन + ग्रेड पे/पे–लेवल)..... आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर

(Phone: 05642-294300 Help Line, E-mail- dlsa13dholpur.com)

क्रमांक :- 2399 दिनांक :- 03/05/25

–:विज्ञप्ति:–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र कमांक F. 16()रालसा / जेएस/LADC/2025/29074-109 दिनांक 17.03.2025 व F. 16()/RSLSA/J.S./LADCS/2024/8818 दिनांक 29.07.2024के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अधीनस्थ कार्यालय लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, धौलपुर हेतु निम्नानुसार पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 17(10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/ पारिश्रमिक (रूपये)
01	ऑफिस असिस्टेन्ट	03	14000/-
02	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	14000/-
03	ऑफिस पिओन	03	11000/-
	कुल योग	07	–

इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 09.05.2025 को कार्यालय समय दोपहर 01:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्ण विज्ञप्ति, आवेदन पत्र व प्रमाण पत्र जिला न्यायालय की बेबसाईट **https://dholpur.dcourts.gov.in/** से डाउनलोड की जा सकती है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)

क्रमांकः– 2400 दिनांकः– 03-05-25

प्रतिलिपिः–

1. जिला जनसंपर्क अधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर सूचित करावें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)